न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 59/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/75

1. अशोक कुमार पुत्र प्रकाशचन्द्र जाति चौधरी निवासी जरपाल तहसील ज्वाली जिला कांगला हिमाचल प्रदेश।
2. सोमराज पुत्र प्रकाशचन्द जाति चौधरी निवासी जरपाल तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
3. जीवन कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति चौधरी निवासी जरपाल तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. तरसेम सिंह पुत्र भानसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एएम तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. बलदेव सिंह पुत्र मानसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एम के एम तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. सरपंच ग्राम पंचायत 1 एस के एम बी पंचायत समिति घडसाना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
4. कृष्णा पत्नी प्रकाश चन्द्र नि. जरपाल तहसील ज्वाली जिला कांगडा (डीलीट आदेश दिनांक 11.06.2024)।
5. आशा कुमार पुत्री प्रकाशचन्द्र जाति चौधरी निवासी जरपाल तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
6. स्टेट जरिये तहसीलदार घडसाना तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुर राम सुथार — अभिभाषक अपीलांट
श्री बालकिशन शर्मा — रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2
श्री विनोद कुमार — रेस्पोडेन्ट संख्या 5

निर्णय

दिनांक 14.10.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेश दिनांक 28.07.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 1 एस के एम–ए के मुरब्बा नंबर 188/21 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 6.199 हैक्टेयर भूमि पौंध बांध विस्थापित के तहत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के दादा देवा पुत्र बरडू को 15.04.1973 में आंवटित हुई। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के दादा देवा पुत्र बरडू का स्वर्गवास दिनांक 11.02.1979 को हो गया। देवा पुत्र बरडू का एक मात्र वारिस अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का पिता प्रकाश चन्द्र था। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता प्रकाश चन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 22.01.2013 को हो गया। प्रकाश चन्द्र के वारिसान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के नाम उक्त वादगत भूमि का तहसीलदार घड़साना ने विरास्तन इंतकाल संख्या 85 दिनांक 05.10.2013 दर्ज कर दिया गया। इंतकाल संख्या 85 दिनांक 05.10.2013 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आवंटी देवा पुत्र बरडू के द्वारा उनके पक्ष की गई वसीयत दिनांक 10.01.1978 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार घड़साना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार घड़साना ने प्रकरण तहसीलदार घड़साना को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि चक 1 एस के एम–ए के मुरब्बा नंबर 188/21 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 6.199 हैक्टेयर भूमि पौंध बांध विस्थापित के तहत अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के दादा देवा पुत्र बरडू को 15.04.1973 में आंवटित हुई। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के दादा देवा पुत्र बरडू का स्वर्गवास दिनांक 11.02.1979 को हो गया। देवा पुत्र बरडू का एक मात्र वारिस अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का पिता प्रकाश चन्द्र था। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता प्रकाश चन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 22.01.2013 को हो गया। प्रकाश चन्द्र के वारिसान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के नाम उक्त वादगत भूमि का तहसीलदार घड़साना ने विरास्तन इंतकाल संख्या 85 दिनांक 05.10.2013 का नियमानुसार स्वीकृत किया गया था जिसकी अपील करने की Locus Standi रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नही थी उक्त आपत्ति के बावजूद भी अदालत मातहत ने अपने निर्णय में एक शब्द भी अंकित नही किया, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया गलत गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 इंतकाल संख्या 85 से प्रभावित नही थे क्योकि तथाकथित वसीयत दिनांक 10.4.1978 प्रथम दृष्टया देखने पर ही फर्जी लगती है। उक्त तथाकथित वसीयत यदि होती तो 42 वर्षो तक क्यों छिपाई। इससे यह स्पष्ट हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की उपरोक्त भूमि

सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

हड़पने की नियत से यह कूटरचित वसीयत तैयर की गई। जिसका कोई आधार नही था।

अदालत मातहत के द्वारा मियाद के बिन्दू पर भी कुछ नहीं लिखा है केवल मात्र अपने निर्णय में यह लिखा हैं कि "प्रार्थी ने वसीयत इंतकाल प्रा–पत्र 23.01.2020 को अनु में खारिज होना वर्णित किया जो कि सत्य है अतः कोविड महामारी के कारण अपील पेश करने में जो देरी हुई है उसको क्षमा किया जाना न्यायोचित है अतः अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है" कितना हस्यास्पद है अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2013 का है ना कि 23.01.2020 का तो फिर अपील करीब 7–8 वर्ष पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत की गई है, यानि की मियाद का प्रश्न भी 7–8 वर्षों का देना चाहिए था, इन वर्षो में कौनसी महामारी थी। परन्तु रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी अपील में कोई कारण ही नही दर्शाया है और अदायत मातहत ने तो नियमों एवं कानून की धज्जीयां उड़ाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। राजस्थान उपनिवेशन(अलाटमेन्ट ऑफ गोवर्मेन्ट लेण्ड टु पौंगडेम ऑटिस राज. कैनाल कॉलोनी) 1972 के नियम 6 (3) के तहत भी पौंगबांध विस्थपितों को 20 वर्ष से पूर्व खातेदारी सनद जानी नहीं की जा सकती है तथ नियम 6(4) के तहत आवंटी/पॉगबांध विस्थापित विस्थापित गैर खातेदारी कृषि भूमि को किसी इकरारनामा, वसीयतनामा, दान पत्र, विक्रय पत्र, नौकरनामा या अन्य किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत फर्जी व कूटरचित वसीयत केवल 5 वर्ष बाद की है. ऐसी वसीयत के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। गैर–खातेदारी भूमि की वसीयत कानूनन नहीं की जा सकती है। अतः अपीलाधी आदेश निरस्त फरमाया जाकर चक 1 एसकेएम–बी तहसील घडसाना का नामांतकरण संख्या 85 यथावत कायम रखा जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि पर स्व. देवा पुत्र बरडू के जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं स्व. देवा पुत्र बरडू का शान्तिपूर्वक कब्जा कास्त चला आ रहा था एवं उनके देहान्त उपरांत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का शान्तिपूर्ण कब्जा चला आ रहा था। सरपंच द्वारा वादगत इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जा के संबंध में उस समय कोई जांच नही करके इंतकाल संख्या 85 दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। देवा पुत्र बरडू द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी उक्त अपीलाधीन भमि का अपना अन्तिम इच्छा पत्र वसीयत दिनांक 10.04.1978 को अपने पूर्ण होश हवाश, स्वस्थचित मन एवं स्वेच्छा रोबरू गवाहान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी घड़साना के उक्त अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में तहसीलदार घड़साना ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय कर दिया हैं तथा उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा दुसरे पक्षकारों को उक्त वादगत भूमि का विक्रय कर दिया है। वर्तमान में दोनों ही पक्षकारों के नाम उक्त भूमि नही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के उक्त अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में तहसीलदार घड़साना ने दोनों पक्षों को सुनकर पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलांट्स ने एक अन्य अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा चुकी है। जिसकी आगामी पेशी पेशी 21.10.2025 है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जाती है।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा दौराने बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त प्रकरण में इंतकाल संख्या 85 दिनांक 05.10.2013 का ग्राम पंचायत 1 एसकेएम—बी के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित नही होने एवं दिनांक 20.09.2013 व 20.12.2013 को बैठक का आयोजन होने व इस बीच आचार संहिता के कारण ग्राम पंचायत की बैठक नही होने पर उक्त इंतकाल ग्राम पंचायत के बैठक के बिना ही, बिना अधिकारिता के सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने तहसीलदार घडसाना को अपील प्रति—प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेश दिनांक 28.07.2021 उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर